

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या-5/आ02-102/2012- 337

पटना, दिनांक- 16.5.17

श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम (संप्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-303 दिनांक-02.05.2017 द्वारा दण्ड अधिरोपित किया गया है।

संबंधी संकल्प की कंडिका-6 (i) में अंकित "5 (पांच) प्रतिवेदन पेंशन की राशि पर 5 वर्षों के लिए रोक" में टंकण त्रुटि है।

अतः तत्संबंधी संकल्प की कंडिका-6 (i) में अंकित "5 (पांच) प्रतिवेदन पेंशन की राशि पर 5 वर्षों के लिए रोक" को एतद् द्वारा संशोधित कर "5% (पांच प्रतिशत) पेंशन की राशि पर 5 (पांच) वर्षों के लिए रोक" किया जाता है।

शेष विषय यथावत् रहेंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-102/2012- 337

पटना, दिनांक- 16.5.17

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग (वै.दा.नि.को.), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-102/2012- 337

पटना, दिनांक- 16.5.17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम (संप्रति सेवानिवृत्त, पता-न्यू हरनीचक, यमुना यादव पथ, अनिशाबाद, पटना-2) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-102/2012- 337

पटना, दिनांक- 16.5.17

प्रतिलिपि:- विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

विशेष सचिव